Drugs scanned for identification

475. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) total number of drugs scanned by this Ministry for identification under DPCO, 1995;

(b) whether his Ministry spelt out in the drug policy for disclosing the basis for price control and de-control on account of anomalies noticed during the identification in 1987;

(c) whether his Ministry has not disclosed the criteria, the market share and the annual turnover on which such exercise was done;

(d) the total number of drugs allowed for marketing;

(e) whether 25 imported drugs have been omitted from price control list; and

(f) if so, the reasons therefor and the names of such drugs?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV): (a) to (f) Turnover data as collected and compiled by the Expert Group of Standing Committee to review the Drug Policy, 1986 has been utilised for identification of drugs for price control on the basis of criteria laid down in "Modification in Drug Policy, 1986", which have been applied across the board.

विकलांगों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए उठाए गए कदम

476. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:**
श्री अनन्तराम जायसवाल:

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में विकलांग लोगों की कुल संख्या कितनी है तथा दुनिया के अन्य विकासशील देशों की तुलना में इनकी प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या विकलांगों को समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी प्रदान करने के लिए सरकार ने जो विधेयक पारित किया है, वह पूर्ण और पर्याप्त है;

(ग) क्या सरकार ने विधेयक पारित कराने के साथ-साथ विकलांग लोगों को पहले अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने तथा उन अधिकरों और सुविधाओं को लागू करवाने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नही, तो उसके क्या कारण है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) 1991 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा चलाए गए प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 16.15 मिलियन व्यक्तियों में एक अथवा अन्य चार श्रेणियों की विकलांगताएं अर्थात् (1) दृष्टि (2) श्रवण) (3) वाणी तथा (4) चलन संबंधी होने का अनुमान है। 1991 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा चलाए गए अन्य प्रतिदर्श सर्वेक्षण में अनुमान लगाया है कि 1—14 वर्ष के बीच 3% बच्चे विकासात्मक विलम्ब से पीड़ित हैं।

भारत तथा अन्य विकासशील देश में विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या की तुलना करना सम्भव नहीं, क्योंकि इस मंत्रालय के पास अन्य विकासशील देशों के विकलांगों की जनसंख्या संबंधी अधिप्रमाणित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) विकलांग व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा तथा पूरी भागीदारी) अधिनियम, 1995 एक बहुत व्यापक विधान है। इसमें शीघ्र पता लगाने, शिक्षा, रोजगार व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुसंधान, जनशक्ति-विकास, अवरोधमुक्त वातावरण का सृजन, सामाजिक सुरक्षा उपाय जैसे पुनर्वास के निवारणात्मक तथा उन्नत दोनों पहलुओं के लिए व्यवस्था है।

यह अधिनियम, 7.2.1996 से लागू किया गया है। इस स्तर पर यह कहना समय से पूर्व होगा कि क्या यह अधिनियम पूर्ण तथा पर्याप्त है। इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया के दौरान हमें पता चलेगा कि क्या विद्यमान उपबंधों में कोई संशोधन अपेक्षित है।

(ग) और (घ) जागरूकता पैदा करने तथा अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाई गए हैं:—